उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

संख्या-63/2020/369 /58-2-2020-600(7)/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 27 मई, 2020

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अधिसूचना संख्या-97/2019/632/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-26 जुलाई, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में संशोधन/कतिपय प्राविधान जोड़े गये हैं। उक्त नीति के प्रस्तर-8.1 की वर्तमान व्यवस्था जो कालम-2 में उल्लिखित है को कालम-3 के अनुसार निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	अधिसूचना संख्या-97/2019/632/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-26 जुलाई, 2019 द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की व्यवस्था	अधिसूचना संख्या-97/2019/632/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-26 जुलाई, 2019 द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 द्वारा की गयी व्यवस्था में संशोधन
1	2	3
8. अन्य सुविधायें	8.1 नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर 05 वर्ष की अवधि के लिए मण्डी शुल्क में छूट संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।(उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.9 के अनुसार); उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.3 (डी) के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 हेतु प्रतिपूर्ति की निर्धारित सीमा एवं व्यवस्था के अनुसार, योजनान्तर्गत अनुमन्य वर्ष में मण्डी शुल्क एवं एस0जी0एस0टी0 (मण्डी शुल्क+एस0जी0एस0टी0 की रूप में जमा की गयी धनराशि का योग) के रूप में जमा की गयी कुल धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा ही की जायेगी। प्रतिपूर्ति संबंधी उक्त व्यवस्था से कोई अन्य नियम/नीति प्रभावित होने की दशा में इस सीमा तक उक्त नियम/नीति संशोधित समझी जाय।	8.1 नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर 05 वर्ष की अवधि के लिए मण्डी शुल्क में छूट संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।(उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.9 के अनुसार); **तत्पश्चात आगामी 05 वर्षों के लिए नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा ही की जायेगी ।** उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.3 (डी) के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 हेतु प्रतिपूर्ति की निर्धारित सीमा एवं व्यवस्था के अनुसार, योजनान्तर्गत अनुमन्य वर्ष में मण्डी शुल्क एवं एस0जी0एस0टी0 (मण्डी शुल्क+एस0जी0एस0टी0 की रूप में जमा की गयी धनराशि का योग) के रूप में जमा की गयी कुल धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। **उक्त प्रतिपूर्ति की व्यवस्था अन्य औद्योगिक इकाईयों की भाँति औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित/नामित संस्था द्वारा की जायेगी।** प्रतिपूर्ति संबंधी उक्त व्यवस्था से कोई अन्य नियम/नीति प्रभावित होने की दशा में इस सीमा तक उक्त नियम/नीति संशोधित समझी जाय।

.....2/-

2. अधिसूचना संख्या-97/2019/632/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-26 जुलाई, 2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना के शेष प्राविधान/व्यवस्था यथावत रहेंगे।

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या-63/2020/369 (1)/58-2-2020, तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
14. वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।